कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 75 / 11–सी– FP/UP/Road/121197/2021, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 05 ,2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी कि0मी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद–मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि, जनपद–मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष / पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0 FP/UP/Road/121197/2021)

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी0 / यू0पी0 / 06 / 221 / 2021 / एफ0सी0 / 403, दिनांक–21.09.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना / अभिलेख वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर ने अपने पत्रांक–44 / 14–10, दिनांक 01.07.2022 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर द्वारा प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण सम्बन्धी अभिलेख दो प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 75 / 11–सी– – FP/UP/Road/121197/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, सहारनपुर एवं मेरठ।
2– प्रभागीय वनाधिकारी / निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद।
3– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग), लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

O/C